प्रेस विज्ञप्ति

24.04.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रांची ज़ोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत सुनील कुमार व अन्य के मामले में 71.92 लाख रुपये मूल्य की अचल और चल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), रांची के तत्कालीन कार्यपालक सुनील कुमार व अन्य के खिलाफ सीबीआई, एसीबी, रांची द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की जिसमें केवीआईसी, रांची के राज्य कार्यालय में सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया गया था।

ईडी की जांच में पता चला है कि सुनील कुमार ने अपने रिश्तेदारों शाहिल, अमन कुमार और प्रिया के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची और बिना किसी वास्तविक काम के केवीआईसी से 3.28 करोड़ रुपये की सरकारी धनराशि को अपने निजी खातों में अंतरित करवाई। अपराध की आय (पीओसी) होने के कारण इन निधियों का इस्तेमाल सुनील कुमार और उनकी पत्नी सुनीता देवी के नाम पर अचल संपत्तियां खरीदने और परस्पर लेन-देन के जरिए धन शोधन में किया गया।

कुर्क की गई संपत्तियों में शाहिल, अमन कुमार और प्रिया के खातों में 14.08 लाख रुपये मूल्य के बैंक बैलेंस और रांची के ओरमांझी में स्थित 57.84 लाख रुपये मूल्य के दो भूखंड शामिल हैं - जिनमें से एक सुनील कुमार और दूसरा सुनीता देवी के नाम पर पंजीकृत है।

इससे पहले जांच के दौरान ईडी ने पीओसी के एक प्राप्तकर्ता से 31 लाख रुपये (लगभग) प्राप्त किए थे। अतः, इस मामले में अब तक कुल 1.02 करोड़ रुपये की पीओसी प्राप्त हुई है।

आगे की जांच जारी है।